

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या 15/94/2020 रजिस्ट्रेशन नं० 2020/00221 प्रवेश तिथि 10/11/2020 निर्णय दिनांक 28.06.2022

1. शुभम हाउसिंग डवलपमेंट फाईनेन्स कम्पनी लिमिटेड, शाखा डी-305, ग्राउण्ड फ्लोर सर्वोदय एनक्लेव, नई दिल्ली-110017।

—प्रार्थी

बनाम

1. हरी नारायण पुत्र श्री हीरालाल, निवासी (अ) वार्ड नं० 07, नम्बर 3 स्कूल के पास, तिजारा, जिला अलवर राजस्थान-301411 एवं (ब) वार्ड नं० 07, मौहल्ला चिपतावाड़ तिजारा, तहसील तिजारा जिला अलवर राजस्थान-301411
2. श्रीमती मनवत देवी पत्नि श्री हरिनाराण, निवासी (अ) वार्ड नं० 07, नम्बर 3 स्कूल के पास, तिजारा, जिला अलवर राजस्थान-301411 एवं (ब) वार्ड नं० 07, मौहल्ला चिपतावाड़ तिजारा, तहसील तिजारा जिला अलवर राजस्थान-301411

—अप्रार्थीगण/ऋणी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्वोरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

—:: निर्णय ::—

प्राधिकृत अधिकारी की ओर से यह प्रार्थना अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्वोरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 प्रस्तुत किया गया। जिसके द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी को दिनांक 03.04.2017 को 5,00,000/-रूपये (Rupees Five Lakh Rupees Only) को उपलब्ध कराई थी, जो दिनांक 13.06.2018 को Total Aggregating Loan Amount Rs. 5,30,953/- (Rupees Five Lakh Thirty Thousand Nine Hundred Fifty Three Only) है। ब्याज/लेट पेमेन्ट पेनेल्टी/अन्य चार्जेज के सहित एवं इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्च की अदायगी। तथा अप्रार्थी ऋणीयों/जमानतदारों द्वारा ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर अप्रार्थीगण द्वारा स्वयं की सम्पत्ति "श्री हरी नारायण पुत्र श्री हीरालाल की वार्ड नं० 07 मौहल्ला छिपरवाड़ा तिजारा, तहसील तिजारा जिला अलवर राजस्थान स्थित सम्पत्ति (बैंक में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार क्षेत्रफल 72.74 वर्गगज)" को रहन रखा गया था। अप्रार्थी ने तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस भेजा गया परन्तु अप्रार्थीगण के द्वारा ऋण राशि की अदायगी नहीं की गई। प्रार्थी ने उपरोक्त "श्री हरी नारायण पुत्र श्री हीरालाल की वार्ड नं० 07 मौहल्ला छिपरवाड़ा तिजारा, तहसील तिजारा जिला अलवर राजस्थान स्थित सम्पत्ति (बैंक में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार क्षेत्रफल 72.74 वर्गगज)" को नो परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया गया है जिसका कब्जा लेने का अधिकार बैंक को है।

प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित आया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थी/ऋणी द्वारा उपलब्ध ऋण नियमानुसार प्रार्थी बैंक को नहीं किया है, जिसकी वजह से उक्त खाता दिनांक 13.06.2018 को एन.पी.ए घोषित कर प्रार्थी बैंक ने

जिला कलक्टर

ऋणी/अप्रार्थी (सह ऋणी) एवं जमानती को दिनांक 15.06.2018 को एक्ट की धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस दिया जाना अवगत कराया है, लेकिन नोटिस की रजि० डाक की तामिल एवं ट्रेंकिंग रिपोर्ट पेश नहीं की है। जिससे यह जाहिर नहीं होता है कि अप्रार्थी/ऋणी एव जमानती को उक्त नोटिस की तामिल हुई हों। प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र खारीज योग्य है।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(शिवप्रसाद नकाते)  
जिला मजिस्ट्रेट, अलवर